[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 29/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

का.आ.... (अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करती है, जो एसएलपी (सी) संख्यांक 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल करने का आशय रखता है।

2. आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिसूचना के उपाबंध । पर दिये संलग्न प्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और उक्त अधिनियम की यथा स्थिति, धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसे समय की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख या उक्त आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से की जाएगी :

परंतु इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार आदेश के विरुद्ध फाइल कोई भी अपील इस अधिसूचना के अनुसार फाइल की गई मानी जाएगी।

3. अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की पूर्व शर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कोई भी रकम जमा करना अपेक्षित नहीं होगा ।

4. इस अधिसूचना के अधीन फाइल की गई अपील के साथ आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे और ऐसी अपील तथा सुसंगत दस्तावेजों पर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. अपील की प्राप्ति पर जो इस अधिसूचना में उपबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्यांक को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल -02 में मैन्युअल रूप से जारी की जाएगी और अपील केवल तभी फाइल की जाएगी जब उपरोक्त पावती जारी की हो ।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश के साथ, इस अधिसूचना के साथ उपाबंध-2 के रूप में संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा।

फा0. सं0. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)

निदेशक

उपाबंध -1

अपीलीय प्राधिकारी को अपील

(एसएलपी (सी) सं0 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेर्शों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई)

1. जीएसटीआईएन-
2. अपीलार्थी का विधिक नाम -
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो -
4. पता -
5. आदेश संख्या - आदेश तारीख -
6. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम -
7. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी संसूचना की तारीख -
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -
9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे-

    (i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण -

    (ii) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

    (iii) उपरोक्त उपमद (ii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73/74 के अधीन पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे :

        (क) आदेश संख्या - आदेश तारीख-

        (ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात रकम (अधिनियम-वार) - रु.

        (ग) उक्त आदेश के अनुसार उद्ग्रहण हुआ ब्याज और जुर्माना (अधिनियम-वार) - रु

(घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है - हां/नहीं

(ड.) यदि अपील फाइल की गई है तो अपील संख्या- अपील तारीख -

(च) उक्त अपील की प्रास्थिति - निस्तारित/लंबित

(छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(iv) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

(v) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(vi) विवादाधीन रकम (अधिनियम-वार) - रु.

10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है - हाँ/नहीं

11. तथ्यों का विवरण:

12. अपील के आधार:

13. प्रार्थना:

<u>सत्यापन</u>

मैं, < ________________________ >, सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

टिप्पण:

1. यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकेगा ।
2. अक्षर "एन.ए." किसी भी मद के विरुद्ध अभिलिखित किया जा सकेगा जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

उपाबंध -2

परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित किसी आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध संक्रमणकालीन क्रेडिट का सारांश

क. जीएसटीआईएन -

ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम-

अपीलार्थी/व्यक्ति का पता -

ग. आदेश के विरुद्ध अपील की गई- संदर्भ (यदि कोई हो) तारीख-

घ. अपील संख्या तारीख-

ड.. व्यक्तिगत सुनवाई-

च. संक्षेप में आदेश-

छ. आदेश की प्रास्थिति- पुष्टि/उपांतरित/निरस्त

ज. अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांग की राशि-

विशिष्टियां	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
(क) उचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली संक्रमणकालीन क्रेडिट रकम		
(ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम		

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपीलीय प्राधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता: